

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक 1234 / ,दिनांक: औरैया: अक्टूबर 6 2022

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
अछल्दा एवं बिधूना।

विषय:- जनपद औरैया में प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किल मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु औरैया में प्रभावित हो रही संरक्षित /आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रभाग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय की पत्र संख्या- 2472/14-1 दिनांक 17.03.2021।

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र द्वारा आप लोगों से अपेक्षा की गयी थी कि आप उपरोक्त विषयक की सूचना मॉगी गई सूचना संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें, परन्तु आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित लाइन से प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वन भूमि तथा वृक्षों की गणना 02 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा निम्न बिन्दुओं पर भी अपनी आख्या प्रेषित करें।

1. प्रस्तावित स्थल पर कोई भी संरक्षित स्मारक क्षेत्र नहीं है।
2. प्रस्तावित स्थल पर कोई भी दुर्लभ/संकटावन विशिष्ट प्रजातियों के पौधें उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित स्थल पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार, रिजर्व वन एवं हाथी कोरीडोर नहीं है।
4. प्रस्तावित स्थल पर्यावरण संवेदनशील नहीं है।
5. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

S. S. Saha

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

संख्या 1234 / समदिनांकित

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक-पारेषण लाइन, साउसि ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को इस आशय के साथ प्रेषित कि आप क्षेत्रीय वनाधिकारी, बिधूना/अछल्दा से संयुक्त सर्वे कराने का कष्ट करें।

M. T. Tiwari
06/10/22

S. S. Saha
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया